	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021	
…1021	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत आदेशानुसार पत्रावली अतन्दा दिनांक 21/12/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
21/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र दिनांक 10.1.22 को पेश हो। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़	
10/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस प्रा०पत्र हेतु पुनः जवाब चाहते पर मिसल दिनांक 10/3/22 को पेश हो। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़	
10/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 28/3/22 को पेश हो। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़	
28/3/22	वकील पक्षकारान उप०। प्रा०पत्र बाबत सच्चाई निष्पादन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 25/1/20 को कैफर्म [illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] है तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। मिसल खुले न्यायालय में सुनाया गया। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested

(1)

आदेश पत्रक (नियम 13)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस. नवलगढ़

रामसिंह बनाम भवानीशंकर वगैरह

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 10 / 2020

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना
27.01.2020	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री अमरसिंह शेखावत ने विरूद्व अनावेदकगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावें कि वाके ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि ख0न. 648 रकबा–1.7800 हैक्टर अवस्थित है जो शामलाती काश्त व खातेदारी की भूमि को अनावेदकगण नं0 1 लगायत 5 न तो स्वयं अजनबी व्यक्ति को विक्रय इकरारनामा अथवा इकरारनामा, नोटरी के द्वारा स्वयं विक्रय करे, न ही अन्य किसी से ऐसा करवाये, न ही अपने अधिनस्थ से ऐसा करवाये। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदकगण वकील को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कोलसिया की सरहद में भूमि ख0न. 648 रकबा–1.7800 हैक्टर विवादित भूमि में आगामी तारीख पेशी तक रिकार्ड यथास्थिति बनाये रखे। उक्त आदेश किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा। वकील आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगण को नोटिस की तामील की सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अनावेदकगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेजात नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना सुनिश्चित कर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे। जिन स्थितियों में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, में परिवर्तन की दिशा में आदेश वैकेट अन्यथा संशोधित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 28/02/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़	
28/02/20	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 22/04/20 ... को ... (हस्ताक्षर)	
22/4/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प... उपस्थित ... वास्ते आगामी कार्यवाही ... पत्रावली ... 3/7/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) ...	
3/7/20	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे पर है। अतः पत्रावली वास्ते आगामी ... दिनांक 2/1/8/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:14:19 IST
Reason: SelfAttested